

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग भरतपुर कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन भूखला वरिष्ठ अध्यापक (कट) पद हेतु भर्ती परीक्षा 2013 में प्रयुक्त निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीजनेर के पत्रांक विविध/माध्य/संस्था/एक-1/12102/प.अ/2013/संशोधित परिणाम /2019 दिनांक 09-03-2021 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन भूखला वरिष्ठ अध्यापक (कट) के पद पर दिनांक 17-03-2021 को आयोजित परामर्श कैंप के माध्यम से द्वितीय वेतन भूखला वरिष्ठ अध्यापक (कट) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

1. उक्त नियुक्ति वर्तमान समय में विभाग में उपलब्ध सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध तथा डी.पी.स्वेराल अपील संख्या-1092/2015 पक्ष ओसवाल बनाम राज्य सरकार में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

2. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस0बी0सिफिल याचिका संख्या 14873/2014 गुरारी सात सर्गा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2015 "new appointment pursuant to the revised merit list would be arranged in order of merit for the purpose of seniority but such of petitioners would not be entitled to the backwages or other benefits." में दिए गए निर्देशों के अधीन प्रदान की जाती है।

3. प्रयुक्त अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षण वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-11 में प्रोवेंशनर ट्रेनी (परिरीक्षाधीन प्रशिक्षणाधी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेंशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 28500/-रु प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

4. परिरीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेंशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भरो यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, राहती वातिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।

5. परिरीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेंशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्राक्यायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।

6. परिरीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेंशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन गृही के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।

7. परिरीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैन्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी(कल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

8. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी(कल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेंशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुपरेशन से भविष्य पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रगत इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

01. अनाधरयक लाभ योजना से उद्देश्य से आवेदन पत्र में वरसा कोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर ले और यह सुनिश्चित कर ले कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, यही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करें। एवं नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का कोटो वरसा कर प्रमाणित करें।

02. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सजावरन रिपोर्ट एवं स्वयं विकिर्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवागत कर्मियों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

03. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी वास्तव, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेंगे।

04. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)बीओपी/ए-11/85 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को जयरा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी जांच का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नीम ज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाये।

05. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबन्धी जांच का 50/- रुपये के नीम ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जाये।

06. अभ्यर्थी से दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।

07. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराये। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जाये तो कार्यग्रहण नहीं कराया जाये तथा उसके संबंध में पूर्ण दिवसीय सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जाये।

08. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अधीन प्रदान की जा रही है।

09. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व स्वस्त्य जांचार्थियों से 50/-रु के नीम ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस जांच का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करने कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार काबूनी कार्यवाही अंगत में लाई जायेगी।

10. अन्य पिछड़ा वर्ग में प्रयुक्त अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सख्त अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए एवं नियमानुसार सख्त अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति की भिल्लेवर का नहीं है तथा उक्त सख्त सख्त अधिकारी द्वारा कटा हुआ नहीं होना चाहिए यदि कोई अभ्यर्थी की भिल्लेवर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जाये तथा उसके संबंध में पूर्ण दिवसीय सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जाये।

11. अन्य पिछड़ा वर्ग का सख्त अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीयतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। यदि आवेदकों की मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जाये तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दिया जाये। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने



स्तर पर करने को उत्तरागत ही अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जावेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी कोमिलेवर की श्रेणी में जाता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण रिपोर्ट सहित इस कार्यालय को उत्तरागत सूचना भिजवाई जावे।

12. आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सम्मिलित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावे।

13. कार्यग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/रु० के नॉन प्रतुडिफिकल स्टाम्प पर वह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं व उनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटस्थित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विगत स्वतंत्र होगा।

14. कार्यग्रहण करने से पूर्व सम्मिलित अभ्यर्थी से कार्यमक विभाग की अधिसूचना क्रमांक ५७(५) कार्यमक/क-२/०६ पार्ट दिनांक ०४.१०.२०१३ के अनुसार भूतपान / वसपान एवं सुदरश सेवाएं नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

15. कार्यग्रहण करने से पूर्व यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत है तो पूर्व नियुक्ति अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावे एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करे। विपरीत स्थिति में कार्यग्रहण ना कराकर इस कार्यालय को अवगत करावे।

प्रदत्त अभ्यर्थी को नियुक्ति पर दिये गये परम्परापित स्थान पर दिनांक ३१-०३-२०२१ तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर सम्मिलित की नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। सम्मिलित संस्थाप्रधान इन्हे शता दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण कराकर सूचना उत्तरागत इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करे।

वरिष्ठ अध्यापक (अर्थ)

S.NO	ROLL NO.	MENT NO.	NAME OF CANDIDATE / FATHER NAME HOME ADDRESS	DOB	SECT. CAT.	H. CAT.	OWN CAT.	POSTING PLACE	DISTRICT	CANDIDATE PHOTO
1	855319	247	NOHAT ANJUM DAUGH/ABOUL SHAMIR DAUGH/OLD SARAY OLD CITY BHOLPUR 228001	2 Dec-90	OBSC		SC-WE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOLPUR (218954), KAMAM	BHARATPUR	
2	86884	278	SADIQ KHAN/LAETO AHMED/VPO.BEHTER THE MALAMA DOOHGE DIST. SAMRA MADHOPUR 228228	5 Jul-86	OBSCM		BC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHIVRA (217928), CHAULT KA BAWARA	SAMRA MADHOPUR	
3	811296	211	SHABIR KHAN/ALLANWOOD KHAN/VILL GODDH THE. AND DIST. SAMRA MADHOPUR 228284	1 Feb-83	OBSCM		BC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAUGAWAN (211666), KAMAM	BHARATPUR	
4	810381	212	MUHAMMAD KHAN/NEAR AHMED/V.P. UDANAKAR THE. GANGAPUR CITY DIST. SAMRA MADHOPUR 222201	12 Feb 88	OBSCM		BC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHOLET (211667), KAMAM	BHARATPUR	

(सिफरूदन)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

दिनांक : 17-03-2021

क्रमांक : सनि/भरत/माध्य/संस्था-१/फा-व०अ०नि०/परीक्षा-2013/2020-21/1634

अतिरिक्त निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विविध सहायक, मानवीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (गुप-२) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-२) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्यमक (क-२) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. विविध राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. मुख्य शिक्षा शिक्षा अधिकारी एवं प्रदेन जिला परिषदाजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान भरतपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्राथमिक (मुख्यमालय) भरतपुर, धौलपुर, कपिली एवं सवाईमदनपुर। संकेतित को मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाला सुनिश्चित करे।
9. मुख्य व्यक्ति शिक्षा अधिकारी एवं प्रदेन बी०आर०सी०एफ० समग्र शिक्षा अभियान
10. सम्मिलित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपकी पसिडेन के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यमालय) माध्यमिक / प्राथमिक को प्रेषित किए जा चुके हैं, जाली सम्मिलित से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
11. सम्मिलित आशापी (परीक्षा केंद्र द्वारा)
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय द्वारा।
13. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. उचित परामर्श।

(सिफरूदन)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर